UPBJ010050632025

Presented on : 02-05-2025
Registered on : 02-05-2025
Decided on : 19-05-2026
Duration: 1 years, 0 months, 17 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0–2, बिजनौर।

उपस्थितः शहजाद अली, (H.J.S) JO Code U.P-03840

फौजदारी अपील सं0– 41/2025

शहजाद उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र अमीर हसन निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली, देहात, जिला बिजनौर हाल निवासी रूम नं0–96 प्लाट नं0–10 गेट नं0–5 ओ0सी0सी0, अब्दुल हमिद रोड निकट नूरी मस्जिद, मालवणी मलाड पश्चिम मुम्बई।

......................पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार।

2. इशरत जहां उम्र करीब 30 वर्ष पत्नी शहजाद पुत्री स्व0 अब्दुल रऊफ निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली, देहात, जिला बिजनौर हाल निवासी ग्राम शहबाजपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर।

..........................विपक्षीगण।

निर्णय

1. उक्त दाण्डिक अपील न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0)/त्वरित न्यायालय, कोर्ट नं0–2, बिजनौर द्वारा परिवाद सं0– 22430/2022 श्रीमती इशरत जहां बनाम शहजाद आदि अन्तर्गत धारा–18,19,20,21,22,23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, थाना– महिला थाना जिला बिजनौर में जो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को 5,000/–रुपये प्रतिमाह मुआवजा के रुप में विपक्षी शहजाद द्वारा अदा करने का निर्णय/आदेश दिनांक 30.09.2023 को पारित किया गया, के विरुद्ध विपक्षी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील योजित की गयी हैं।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि–

(i) विद्वान विचारण न्यायालय में वादिनी श्रीमती इशरत जहां की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत

Digitally signed by SHAHZAD ALI
Date: 2026.05.21 17:21:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा–18,19,20,21,22,23 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विपक्षीगण शहजाद, अमीर हसन, इदरीश, श्रीमती हनीफा तथा मुबारिक के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

(ii) वादिनी ने उक्त प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थिनी का निकाह विपक्षी सं0 1 के साथ मई 2017 में हुआ था और प्रार्थिनी की विधवा मां ने प्रार्थिनी की शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी दान दहेज उपहार स्वरूप दिया था, परन्तु दिये गये दान दहेज से विपक्षीगण सन्तुष्ट नहीं थे और 2 लाख रूपये दहेज में लाने का दबाव बनाते और मारपीट करते थे और इसी के चलते 4 मार्च 2019 को शाम के करीब 5 बजे उपरोक्त विपक्षीगण ने प्रार्थिनी को कमरे मे बन्द कर दहेज में 2 लाख रूपये लाने के लिये मारपीट की तथा जान से मारने के लिये मिटटी का तेल छिड़ककर आग लगाने वाले ही थे कि प्रार्थिनी के शोर पर पडोस के लोगों ने आकर प्रार्थिनी को बचाया। इन लोगों ने प्रार्थिनी का जेवर, कपडा, सब सामान रखकर प्रार्थिनी को घर से निकाल दिया। प्रार्थिनी ने अपने मायके वालों के साथ आकर थाने मे दरख्वास्त दी, जिस पर थाने वालों ने मुकदमा न लिखकर समझौता करा दिया, लेकिन प्रार्थिनी के पति व ससुराल वालों ने समझौते के अनुसार कुछ नहीं किया। बल्कि समझौते के अगले दिन 17 मार्च को प्रार्थिनी के घर आकर तलाक बोला कि मैने तलाक दे दिया। सामान तेरा टूट फूट गया हम कुछ देने वाले नहीं, प्रार्थिनी ने इस बात को पुलिस व पंचों से बताया तो उन्होंने प्रार्थिनी को समझाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाला। प्रार्थिनी का पति अपने भाई के साथ बम्बई में काम करता है और उसी के कहने में चलता है। प्रार्थिनी ने कई बार फोन पर सम्पर्क करके को कहा कि या तो बीवी की तरह रखो या समझौते पर अमल करो, इस पर प्रार्थिनी के शौहर शहजाद ने कहा कि तू मेरे भाई के अनुसार चलेगी तो रह ले वरना तलाक तो तुझे दे ही चुका हूँ। प्रार्थिनी के यह कहने पर कि बम्बई रहकर देखा है न तो तुम्हारे भाई की नियत ठीक है, न ससुर की, ससुर भी दारू पीकर गलत निगाह रखते है, बस एक दम फोन काट दिया। दिनांक 5 अगस्त को प्रार्थिनी ने फिर फोन किया तो छूटते ही शहजाद ने तलाक तलाक तलाक कहना शुरू कर दिया और कोई बात नहीं की। तब से ही प्रार्थिनी अपने माता पर बोझ बनकर रह रही है। प्रार्थिनी कोई टैक्नीकल काम जैसे सिलाई, बुनाई, कढाई, इत्यादि नहीं जानती है, घरेलू महिला है। जबकि विपक्षी उपरोक्त साधन सम्पन्न व्यक्ति है, जो बम्बई में अपने भाई के साथ रहकर बेकरी का काम करता है जहां से विपक्षी को 30,000/– रूपये माहवार की आमदनी होती है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थिनी द्वारा दावा में किये गए अनुतोष स्वीकृत करने या ऐसा कोई आदेश पारित करने जो न्यायालय मामले के लिये तथ्य व परिस्थितियों मे व्यथित महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिये उपयुक्त व उचित समझे, किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांकित 30–09–2023 पारित किया है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि– आवेदिका का आवेदन अन्तर्गत घरेलू हिसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 को एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के अन्तर्गत प्रतिवादी शहजाद को आदेशित किया जाता है कि उसके द्वारा वादिनी को मुआवजा 5,000/–रू0 आदेश की दिनांक से प्रतिमाह प्रत्येक अंगेजी माह की 10 तारीख को अदा करें। धारा 22 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के अन्तर्गत प्रतिवादी शहजाद को आदेशित किया

जाता है कि उसके द्वारा वादिनी को कारित घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार के लिए प्रतिकर के रूप में 5,000/–रू0 अदा करेगा साथ ही याचिकाकर्ता को रहने हेतु आवासीय सुविधा भी प्रदान करें। यदि किसी अन्य न्यायालय द्वारा भरण–पोषण हेतु आदेश पारित पाया जाता है तो यह धनराशि उसमें समायोजित करके देय होगी। याचिकाकर्ता पर कोई घरेलू हिंसा कारित न करे।

4– विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30–09–2023 से क्षुब्ध होकर फौजदारी अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह आधार लिये गये है कि – विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों का त्रुटिपूर्ण विश्लेषण करते हुए गलत निर्णय व आदेश पारित किया है। परिवाद घ रेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि० 2005 में दिये गये विहित प्रारूप पर योजित नहीं है तथा परिवाद के साथ कोई शपथपत्र भी अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रारूप में नहीं दिया गया है, जबकि अधिनियम में परिवाद व उसके साथ शपथपत्र के प्रारूप स्पष्ट रूप से अंकित है। पत्रावली पर कोई भी चिकित्सीय रिपोर्ट व इंजरी रिपोर्ट नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादनी को कोई इंजरी अपीलान्ट व उसके परिवार वालो द्वारा कभी कारित नहीं की गयी है। घरेलू हिंसा रिपोर्ट मात्र छपे हुए परफोर्मे पर प्रस्तुत है, जिसमें किसी भी विपक्षी का कोई विशिष्ट रोल नही दर्शाया गया है तथा यह भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार की घरेलू हिंसा कब, किस तिथि को, किस समय, किस स्थान पर कारित की गयी है। डी०पी०ओ० साहब ने कभी भी मौके पर अपीलाण्ट के निवास स्थान रूम न0 96 प्लाट न0 10 गेट न0 5 ओ०सी०सी० अब्दुल हमिद रोड निकट नूरी मस्जिद मालवणी मलाड पश्चिम मुम्बई में जाकर कोई जांच नही की है। अपीलान्ट विवाह से कई वर्ष पूर्व से स्थायी पते रूम न0 96 प्लाट न0 10 गेट न० 5 ओ०सी०सी० अब्दुल हमिद रोड निकट नूरी मस्जिद मालवणी मलाड पश्चिम मुम्बई पर निवास कर रहा है जिसकी जानकारी परिवादनी को स्पष्ट रूप से थी व परिवादनी स्वंय वही रही। परिवादनी ने इस तथ्य को जानबूझकर छुपाया है। अपीलान्ट विवाह से पहले से ही रूम न0 96 प्लाट न0 10 गेट न० 5 ओ०सी०सी० अब्दुल हमिद रोड निमट नूरी मस्जिद मालवणी मलाड पश्चिम मुम्बई पर रहता था और परिवादनी भी वही रहती थी वही पर अपीलान्ट के पिता भाई व परिवार रहता है। परिवादनी ने सही तथ्यो को छिपाने के लिए विपक्षियों के सही पते अंकित नहीं किये है तथा विवाह से भी पूर्व के अपीलांट व परिवार वालों के पते को दर्ज किया है जबकि सभी विपक्षी बाहर मलाड मुम्बई में रहते है। परिवादनी के साथ दिनाँक 4–3–19 व 17–3–19 को कोई भी घटना व घरेलू हिंसा अपीलान्ट व उसके परिवार वालो ने कारित नहीं की है तथा दिनाँक 24–1–20 को भी कोई घटना परिवादनी के साथ अपीलान्ट व उसके परिवार वालो ने कारित नही की है। परिवादनी को कोई इंजरी नही पहुंची है यदि परिवादनी के साथ कभी कोई मारपीट होती तो कोई इंजरी जरूर आती। कोई इंजरी रिपोर्ट भी परिवादनी द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है। परिवादनी की शादी में उसके माता द्वारा कोई भी रूपया व सामान नही दिया गया था क्योकि विवाह से पूर्व परिवादनी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए शादी दहेज रहित हुयी थी तथा शादी मे कोई सामान ना दिये जाने की वजह से कोई भी सूची रिश्ते व शादी में तैयार नही हुई थी। परिवादनी द्वारा फर्जी सूची फर्जी हस्ताक्षर बनाकर तैयार की है किसी भी सूची पर अपीलान्ट ने कोई हस्ताक्षर नहीं किये तथा परिवादनी द्वारा कोई मूल सूची दाखिल नहीं की गयी है और न ही

साक्ष्य से साबित की गयी है। परिवादनी अपीलान्ट मुम्बई में रहती थी जहाँ रहने की जगह बहुत छोटी थी जो परिवादनी को पसन्द नहीं थी इस कारण परिवादनी अपने पति अपीलान्ट से बड़ी जगह का इंतेजाम करने को कहती थी। बडी जगह का इन्तेजाम न होने पर परिवादनी मुम्बई में अपीलान्ट व उसके परिवार वालो का जेवर व कीमती सामान लेकर वैवाहिक घर मलाड़ से वैवाहिक घर का त्याग करके अपनी स्वेच्छा से चली गयी और काफी तलाश करने पर भी अपीलांट को नहीं मिली। चोरी से परिवादनी द्वारा सामान साथ ले जाने की घटना दिनाँक 3–8–18 को सूचना पुलिस थाना मलाड मुम्बई को अपीलान्ट ने दी थी। परिवादनी द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है तथा परिवादनी के एक पक्षीय साक्ष्य में दिये शपथपत्र में भी कोई घरेलू हिंसा का प्रकार व अपीलान्ट व उसके परिवार वालो का कोई रोल नही बताया गया है तथा किसी साक्षी का साक्ष्य भी परिवादनी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। परिवादनी ने अपने परिवाद व साक्ष्य में यह स्पष्ट भी नही किया है कि किस तिथि, किस समय, किस स्थान पर कौन सा सामान दिया गया है तथा किसे दिया गया है। परिवादनी द्वारा अपीलान्ट से एक समझौता किया गया था जिस समझौते के बाद से ही परिवादनी स्वंय अपीलान्ट से अलग रह रही है। अपीलान्ट पर परिवाद सं0 22430/22 का समन नोटिस गया होता तो अपीलान्ट अवर न्यायालय में अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करता और न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य आ जाते। परिवादनी ने परिवाद में अपीलान्ट का गलत पता अंकित करके व मा० न्यायालय को गुमराह करके एक पक्षीय आदेश पारित कराया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलांट मुम्बई में अपने भाई के साथ किसी भी बेकरी में काम नहीं करता है परिवादनी ने परिवाद में बेकरी या बेकरी का नाम पता भी अपने साक्ष्य में नही बताया है तथा महानगर पालिका से बेकरी का या बेकरी में काम करने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पत्रावली में दाखिल नही किया है और न साबित किया है। अपीलान्ट की कोई आय साबित नहीं की गयी है। परिवादनी द्वारा अपने साक्ष्य में किसी भी सामान का कोई बिल प्रस्तुत नही किया गया है जिससे स्पष्ट है कि कभी कोई सामान खरीदकर अपीलान्ट/विपक्षीगण को नही दिया गया है। अपीलान्ट प्रतिपक्षी अपनी पत्नी को लाने के बार बार प्रयास करता चला आ रहा है तथा उसको अपने साथ लाकर रखना चाहता है किन्तु परिवादनी/रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के साथ आकर रहने को तैयार नहीं है। परिवादनी अपने पिता के घर पर रहकर महिलाओ के कपडो की सिलाई का कार्य करती है और 400 रू0 प्रतिदिन कमा रही है और अपीलांट प्रतिपक्षी पर जबरन तलाक देने का दबाव बना रही है तथा कहती है कि मुझे अपनी माता की देखभाल करनी है,उमैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। परिवादनी रेस्पोडेन्ट अपना खर्च चलाने में पूरी तरह समर्थ है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांकित 30–09–2023 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार डिप्टी लीगल एड डिफैन्स काउन्सिल द्वारा अपनी बहस में अपील में लिये गये आधारो ंपर जोर दिया गया और उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करने की याचना की गयी व दूसरी तरफ से उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री भोपाल सिंह एडवोकेट द्वारा यह बहस की गयी कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30–09–2023 में जो विपक्षी सं0 2 के हक में जो अनुतोष दिया है वह कानूनन रूप से सही है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने की याचना की गयी।

6– इस न्यायालय द्वारा तलबशुदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

7– विश्लेषण–

(i) अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में लिये गये आधारों में अपीलार्थी द्वारा यह माना है कि उसकी शादी विपक्षी सं0 2 से हुयी थी, जो उसके साथ शादी के बाद मुम्बई में रही, अर्थात विपक्षी सं0 2 अपीलार्थी की कानूनी पत्नी है।

(ii) अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह भी आधार लिया हुआ है कि यदि विपक्षी सं0 2 के साथ कोई घरेलू हिंसा हुयी होती तो वह इस सम्बन्ध में शिकायत मुम्बई भी कर सकती थी, जो उसने नहीं की। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय का यह मत है कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती हे तो उसके पास यह अधिकार है कि वह घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में अपने आखिरी पते पर रहने की क्षेत्राधिकार में भी कर सकती है और इसलिए अपीलार्थी द्वारा लिये गये उक्त आधार में कोई बल नहीं है।

(iii) अपीलार्थी द्वारा यह भी आधार लिया गया कि अपीलार्थी व उसके परिवार के रहने के पतों पर समन नहीं भेजे गये। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के बाद खुद ही उसने न्यायालय के समक्ष आना छोड़ दिया, इसलिए उक्त आधार में बल नहीं है कि उसे या उसके परिवार को समन प्राप्त नहीं हुये।

(iv) अपीलार्थी द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि विपक्षी सं0 2 सिलाई का काम करके प्रतिदिन 400/–रू0 कमा रही है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय का यह मत है कि जुबानी इस बात को कहना कि विपक्षी सं0 2 इशरत जहां 400/–रू0 प्रतिदिन कमा रही है, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसका अपीलार्थी के पास कोई सबूत नहीं है।

(v) अपीलार्थी का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का खर्चा वहन करे और यह जरूरी नहीं है कि पत्नी हर चीज को न्यायालय के समक्ष साबित करे। क्योंकि यदि पति हस्ट–पुष्ट है तो उसका यह नैतिक दायित्व है कि वह जैसा अपना जीवन जी रहा है, उसी तरह रोजमर्रा के खर्चे अपनी पत्नी को भी उपलब्ध कराये और उसके लिए उसे खर्चा दे।

(vi) विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को यह आदेशित किया गया कि वह 5000/–रू0 प्रतिमाह अपनी पत्नी को दे, जो प्रतिदिन के हिसाब से 166/रू0 है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में 166/रू0 प्रतिदिन 3 समय का खाना खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा यह कहना कि 5000/–रू0 प्रतिमाह के हिसाब से खर्चा विपक्षी सं0 2 को देना ज्यादा है, अपीलार्थी द्वारा लिये गये उपरोक्त आधार में बल नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया है कि अपीलार्थी विपक्षी सं0 2 को रहने के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करायेगा और 5000/–रू0 प्रतिमाह खर्चे के तौर पर देगा यह न्यायसंगत है।

8– इस केस के निस्तारण के लिए निम्नलिखित विधि–व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना समीचीन है–

(i) यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित केस टाइटल SHOME NIKHIL

DANANI VS TANYA BANON DANANI (CRL. REV. PET. 994/2018) निर्णय दिनांकित 11.04.2019 के पैरा नं० 12 से 22 का हवाला देना चाहते हैं जो निम्नलिखित हैः–

12. It may be seen that the Family Court by order dt. 23.01.2017, on the Application of the Respondent – wife under Section 125 Cr.P.C. assessed the income of the petitioner – husband at Rs. 7,50,000/- to Rs. 8,00,000/- per month and his monthly expenditure at Rs. 1,42,000/- per month. With regard to the income and expenditure of the Respondent, the Family Court assessed her monthly expenditure at Rs. 5,04,566/- excluding rental of Rs. 2,50,000/- per month and her total monthly income at Rs. 1,01,040/-. However, held that certain amounts claimed by her in her financial affidavit amounted to luxury and could not be granted. The Family Court awarded her interim maintenance of Rs. 1,20,000/-per month. The Family Court, while assessing the respective income and expenditure of the parties, specifically excluded the rental claim of the Respondent– wife.

13. In the subject proceedings under the DV Act, the Trial Court by order dated 06.04.2018 declined to grant any monetary relief to the Respondent – wife holding that that all the heads for which the maintenance was being sought had been considered by the Family Court while passing the said orders and as she had already moved to Court and her right of maintenance had been adjudicated by a competent Court, for any enhancement of maintenance already granted, she would have to move the same Court. With regard to residence order, the Trial Court held that although she had prayed for entry into the shared household but during arguments her counsel had submitted that the husband be directed to pay for the rent of the rented premises. The Trial Court held that the Family Court in by order dated 23.01.2017 had already considered the rent for the rented accommodation while assessing interim maintenance at Rs. 1,20,000/- per month.

14. The finding the Trial Court that the Family Court had taken into account the rent for the rented premises, is contrary to record. The Family Court had specifically held that the expenditure claimed by the wife was Rs. 5,04,566/- excluding rental of Rs. 2,50,000/- per month. Thereafter the Trial Court further reduced the expenditure claim by holding that some of it was for luxury, which could not be granted. Clearly the Trial Court had not taken into account the rental. Further, the rental could not have been considered by the Trial Court in the application under section 125 Cr.P.C. because the wife was not living on rent but was claiming rent for taking an accommodation on rent.

15. In the present proceedings under the DV Act, the Respondent has claimed residence order in the shared household and during arguments, alternatively claimed rental in lieu of the residence order in the shared household.

16. Section 20 DV Act reads as under:

20. Monetary reliefs.—
(1) While disposing of an application under sub- section (1) of section 12, the Magistrate may direct the respondent to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person and any child of the aggrieved person as a result of the domestic violence and such relief may include but is not limited to—
(a) the loss of earnings;
(b) the medical expenses;
(c) the loss caused due to the destruction, damage or removal of any property from the control of the aggrieved person; and
(d) the maintenance for the aggrieved person as well as her children,
if any, including an order under or in addition to an order of maintenance under section 125 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force.
(2) The monetary relief granted under this section shall be adequate,fair and reasonable and consistent with the standard of living to which the aggrieved person is accustomed.
(3) ***** ******

17. Cleary the scope of Section 20 of the DV Act is much wider than that of Section 125 Cr.P.C.. While Section 125 Cr.P.C. talks only of maintenance, Section 20 DV Act stipulates payment of monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered as a result of the domestic violence including but not limited to loss of earning, medical expenses, loss caused due to destruction, damage or removal of any property from the control of aggrieved person. Further, Section 20(1)(d) of the DV Act clearly provides that “In proceedings under the DV Act, the magistrate may direct the Respondent to pay the maintenance to the aggrieved person as well as her children, if any, including an order under or in addition to an order of maintenance under section 125 Cr.P.C. or any other law for the time being in force.”

18. This clearly shows that an order under Section 20 DV Act is not restricted by an order under section 125 Cr.P.C.. The Trial Court clearly erred in not appreciating the distinction between the two provisions and the reasoning is clouded by an impression that the respondent – wife in the application under section 23 was only seeking an order of maintenance, which is not the case. In her application under section 23 of the DV Act, the respondent wife has inter-alia sought residence rights under Section 19 and protection under Section 18 apart from the monetary relief under Section 20.

19. Reference may also be had to the Judgment of a coordinate bench of this court in Karamchand & Ors Vs State NCT of Delhi & Anr (2011) 181 DLT 494 and of the Supreme Court of India in Juveria Abdul Majid Khan Patni Vs Atif

Iqbal Masoori (2014) 10 SCC 736, wherein the Supreme Court has held that monetary relief as stipulated under Section
20 is different from maintenance, which can be in addition to an order of maintenance under Section 125 Cr.P.C. or any other law.

20. Further, it may be seen that proceeding under the DV Act and under section 125 Cr.P.C are independent of each other and have different scope, though there is an overlap. In so far as the overlap is concerned, law has catered for that eventuality and laid down that at the time of consideration of an application for grant of maintenance under DV Act, maintenance fixed under section 125 Cr.P.C shall be taken into account.

21. The Judgment in the case of Rachna Katuria Versus Ramesh Kathuria (supra) relied upon by learned Senior Counsel for the Petitioner to contend that DV Act does not create any additional right to claim maintenance on the part of the aggrieved person and if a woman had already filed a suit claiming maintenance and after adjudication maintenance has been determined, she does not have a right to claim additional maintenance under the DV Act is per incurium as it does not notice the very provisions of Section 20 and 23 of DV Act. **Further now the Supreme Court of India in Juveria Abdul Majid Khan Patni Vs Atif Iqbal Masoori (supra) has held that monetary relief under Section 20 DV Act is in addition to maintenance under section 125 Cr.P.C..**

22. In view of the above, I find no infirmity in the order of the Appellate Court in setting aside the order of the Trial Court and remitting the matter for reconsideration of the application of the Respondent. There is thus no merit in the Petition, the same is dismissed.

(ii) उक्त निर्णय के विरुद्ध सम्बन्धित पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय में गया जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 11.04.2019 के विरुद्ध दायर एस०एल०पी० (सीआरएल)नम्बर 6005/2019 केस टाइटल बनाम SHOME NIKHIL DANANI VS TANYA BANON DANANI को निर्णय दिनांकित 22.07.2019 को खारिज किया। अर्थात् माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांकित 11.04.2019 पुष्ट किया जो निम्नलिखित आदेश पारित किया–

Having heard Ms Geeta Luthra, learned senior counsel for the petitioner and Ms Vibha Datta Makhija, learned senior counsel for the respondent, **we are of the viewthat the High Court of Delhi was justified in coming to the conclusion that the mere passing of an order under Section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973 didnot preclude the respondent from seeking appropriate reliefs under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005.** Hence, we decline to entertain the special leave petition under Article 136 of the Constitution. The special leave petition is accordingly dismissed.

However, we only clarify that any observations made by the High Court on the merits of the claim of the respondent under Section 23 shall not come in the way of the appropriate court taking a view on the merits of the matter.

(iii) यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.01.2026 केस टाइटल ANAMIKA JAIN VS DR. ATUL JAIN SLP(C) NO. 5220 OF 2024 के पैरा नम्बर 10 से 15 का हवाला देना चाहता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भरण–पोषण से सम्बन्धित वाद बिन्दुओं को निस्तारित किया है जो निम्नलिखित है–

10. Marriage, as an institution in our society, is founded on emotional bonding, companionship, and mutual support, which cannot be evaluated in purely monetary terms. A woman often enters matrimony with legitimate aspirations of a stable and dignified life. When such a marriage breaks down, the obligation of the husband to ensure that the wife is able to live with dignity does not come to an end merely on the ground that she is educated or has parental support. Post-divorce, the wife is entitled to live a life consistent with the standard of living she was accustomed to during the subsistence of the marriage.

11. In this context, reference may be made to the decision of this Court in Bhuwan Mohan Singh v. Meena and others3, wherein, while dealing with proceedings under Section 125 Cr.P.C, it was observed as under: "2… The concept of sustenance does not necessarily mean to lead the life of an animal, feel like an unperson to be thrown away from grace and roam for her basic maintenance somewhere else. She is entitled in law to lead a life in the similar manner as she would have lived in the house of her husband. That is where the status and strata come into play, and that is where the obligations of the husband, in case of a wife, become a prominent one. In a proceeding of this nature, the husband cannot take subterfuges to deprive her of the benefit of living with dignity. Regard being had to the solemn pledge at the time of marriage and also in consonance with the statutory law that governs the field, it is the obligation of the husband to see that the wife does not become a destitute,a beggar. A situation is not to be maladroitly created whereunder she is compelled to resign to her fate and think of life "dust unto dust". It is totally impermissible. In fact, it is the sacrosanct duty to render the financial support even if the husband is required to earn money with physical labour, if he is able bodied. There is no escape route unless there is an order from the Court that the wife is not entitled to get maintenance from the husband on any legally permissible grounds."

11.1. In Rajnesh v. Neha and another, this Court comprehensively examined the principles governing maintenance of wife, children and parents, and framed authoritative guidelines under Article 142 of the Constitution. The following

observations are apposite:

77. The objective of granting interim / permanent alimony is to ensure that the dependant spouse is not reduced to destitution or vagrancy on account of the failure of the marriage, and not as a punishment to the other spouse. There is no straitjacket formula for fixing the quantum of maintenance to be awarded.

78. The factors which would weigh with the Court inter alia are the status of the parties; reasonable needs of the wife and dependent children; whether the applicant is educated and professionally qualified; whether the applicant has any independent source of income; whether the income is sufficient to enable her to maintain the same standard of living as she was accustomed to in her matrimonial home; whether the applicant was employed prior to her marriage; whether she was working during the subsistence of the marriage; whether the wife was required to sacrifice her employment opportunities for nurturing the family, child rearing, and looking after adult members of the family; reasonable costs of litigation for a non-working wife.

79. In Manish Jain v. Akanksha Jain6, this Court held that the financial position of the parents of the applicant-wife, would not be material while determining the quantum of maintenance. An order of interim maintenance is conditional on the circumstance that the wife or husband who makes a claim has no independent income, sufficient for her or his support. It is no answer to a claim of maintenance that the wife is educated and could support herself. The court must take into consideration the status of the parties and the capacity of the spouse to pay for her or his support. Maintenance is dependent upon factual situations; the Court should mould the claim for maintenance based on various factors brought before it.

80. On the other hand, the financial capacity of the husband, his actual income, reasonable expenses for his own maintenance, and dependant family members whom he is obliged to maintain under the law, liabilities if any, would be required to be taken into consideration, to arrive at the appropriate quantum o maintenance to be paid. The Court must have due regard to the standard of living of the husband, as well as the spiralling inflation rates and high costs of living. The plea of the husband that he does not possess any source of income ipso facto does not absolve him of his moral duty to maintain his wife if he is able bodied and has educational qualifications."

90. The Courts have held that if the wife is earning, it cannot operate as a bar from being awarded maintenance by the husband. The Courts have provided guidance on this issue in the following judgments:

90.1. In Shailji v. Khobbanna7, this Court held that merely because the wife is capable of earning, it would not be a sufficient ground to reduce the maintenance awarded by the Family Court. The Court has to determine whether the income of the wife is sufficient to enable her to maintain herself, in accordance with the lifestyle of her husband in the matrimonial home. Sustenance does not mean, and cannot be allowed to mean mere survival.

12. In the present case, the material on record indicates that the respondent – husband has sufficient earning capacity and financial means to pay more than Rs. 15,000/- per month towards permanent alimony. Considering the present cost of living, the impact of inflation over the past decade, and the overall circumstances of the parties, we are of the view that the amount awarded by the Family Court, as affirmed by the High Court, is inadequate and warrants enhancement.

13. During the course of proceedings, this Court directed the learned counsel appearing for the respective parties to get instructions with regard to enhancement of permanent alimony to Rs. 30,000/- per month and passed over the matter. Upon receiving instructions, the learned counsel for both sides have fairly agreed to such enhancement.

14. In view of the above, the permanent alimony payable to the appellant –wife is enhanced from Rs. 15,000/- per month to Rs. 30,000/- per month, which shall be payable by the respondent – husband from the date of filing of the special leave petition before this Court, i.e., 02.07.2021.

15. Accordingly, the judgment of the Family Court as affirmed by the High Court, stands modified to the aforesaid extent. The respondent – husband is directed to pay the revised permanent alimony of Rs. 30,000/- per month by 5th of every succeeding month, commencing from 05.02.2026. The arrears of enhanced maintenance for the period from July, 2021 to January, 2026, amounting to Rs. 8,10,000/- (Rs. 15000/- x 54 months), shall be paid either in one lump sum or in instalments over a period of four years. In the event of payment by instalments, not less than one-third of the arrears shall be paid through equated quarterly instalments.

9– इस न्यायालय द्वारा किये गये विश्लेषण व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह अपील खारिज होने योग्य है व विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांकित 30.09.2023 पुष्ट होने योग्य है।

10– अतः माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त विधि व्यवस्था एवं इस केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये दांडिक अपील सं0– 41/2025 शहजाद बनाम सरकार आदि निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

11– दांडिक अपील सं0– 41/2025 शहजाद बनाम सरकार आदि निरस्त की जाती है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश दिनांकित 30.09.2023 पुष्ट किया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी शहजाद अपनी पत्नी इशरत जहां को प्रतिमाह के हिसाब से 5000/–रू0 प्रार्थना पत्र की तिथि दिनांक 05–09–2022 से अदा करेगा व आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करायेगा। यदि वह आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है तो वह आवासीय सुविधा के लिए 5000/–रू0 प्रतिमाह विपक्षी सं0 2 को उपरोक्त प्रतिमाह 5000/–रू0 भरण–पोषण के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र की तिथि दिनांक 05–09–2022 से अदा करेगा।

12– निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को आदेश की अनुपालन के लिये प्रेषित की जाये व तलबशुदा पत्रावली तथा अपील की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जायें।

दिनांक–19–05–2026

(शहजाद अली)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
न्यायकक्ष सं0–2, बिजनौर।
JO Code- UP 3840

उक्त निर्णय के सभी पृष्ठ आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित करके निर्णय को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–19–05–2026

(शहजाद अली)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
न्यायकक्ष सं0–2, बिजनौर।
JO Code- UP 3840

Visit **ecourts.gov.in** for updates or download mobile app "**eCourts Services**" from Android or iOS